

असाधारण

EXTRAORDINARY

भ्राम II —खण्ड ३ — उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

#l. 833] No. 833] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 5, 2007/आबाद 14, 1929 NEW DELHL THURSDAY, JULY 5, 2007/ASADHA 14, 1929

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली पंचाय)

अधिसृचना

नई पिल्ली, 5 जुलाई, 2007

का,आ, 1103(अ),—पत: यही नीचे डॉल्लांखत क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मन्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ मंशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली किलास ऑधिनियम, 1956 (1957 का 61) के खण्ड 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 26 अप्रैल, 2007 की संकारण 556(अ) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकारिश किया एवा जिसमें उक्षत लेटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनयम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा-अपेक्षित आपीनयां/मुझान आमींका किए गए।

- यत: प्रस्तावित संशोधन के संबंध में कोई आपित्यां मुझाब प्राप्त नहीं हुए तथा यत: केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के माम्टर प्लान-2021 में मंशोधन करने का निर्णय लिया है।
- 3. उत्ताः, अब उका अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदेश शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतदुहारा निम्नॉलखित संशोधन करती है : संशोधन :

जोन "डी" में कस्तुरक गांधी मार्ग (कर्जन रोड) पर 2.328 हेक्टे (5.75 एकड्) माप वाले निम्नलिखित क्षेत्र के मू-उपयोग की निम्नलिखित विकरण अनुसार परिवर्तित किया आए 5—

रिश्चति	क्षेत्र	भू-उपयोग (एपीझी 2021)	परिवर्तित भू- डपवीग	सीमाएं
कस्तूम्बा गांधी मार्ग (कर्जन रोह)	2.328 हेमरे. (5.75 एकड्)	रिकापशी	सरकारी कार्यालय	उत्तर - सरकारी भूमि रक्षिण - असर्वत सिंह मार्ग (कॉनिंग लेन) पूर्व - फरमूरबा गांधी मार्ग (45,72 मी. मार्गाधिकार पश्चिम - लेही इरविन स्कूल

[सं के-13011/1/2007-डीडी1बी]

थी. के. सांतरा, अवर सचिव

3039 Of/2001

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2007

- S.O. 1103(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 656(E) dated 26th April, 2007 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by Sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice
- 2. Whereas no objection/suggestion was received with regard to the proposed modification and whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.
- 3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India :-

MODIFICATION:

The land use of the following area measuring 2.328 ha. (5.75 acres) at Kasturba Gandhi Marg (Curzon Road) in Zone "D" be changed as per description listed below:

nent Office North - Government land.
South - Jaswant Singh Marg (Canning Lane) East - Kasturba Gandhi Marg (45,72m R/W) West - Lady Irwin School

P. K. SANTRA, Under Secy.